NATION TAX MARKET

कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय माल एंव सेवाकर संभाग–G, सीकर (राज0)
OFFICE OF THE ASSTT. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS & SERVICE TAX DIVISION-G, SIKAR
सेक्टर–सी, तोदी नगर, सांवली रोड, सीकर | Sector-C, Todi Nagar, Sanwali Road, Sikar-332001
Mail id : - cedivsikar@rediffmail.com फोन – 01572-274257, 274259 फैक्स - 274280

फा0सं0 I–7(02)प्रशा./सीकर/2019/1355 दिनांकः–23.09.2022

नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग–जी, सीकर के कार्यालय में खड़े नाकारा वाहन **RJ-14-5C-9352 TATA SUMO SE, 2001** को **"जहाँ है जैसा है"** के आधार पर इस कार्यालय परिसर में **दिनांक 17.10.2022 को प्रातः 11:00 बजे** खुली बोली द्वारा नीलामी की जायेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

S. No.	Make of Vehicles	Registration No.	Reserve price	Amount of Bid Security
1.	TATA SUMO SE, 2001 Model- 2001 10- Seater	RJ-14-5C-9352	51,000/-	Rs. 5,000/-

नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से होगी, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट https://cgstjaipur.gov.in पर भी उपलब्ध हैः–

1. नीलामी में कोई भी अशासकीय व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि रुपये 5000/– केवल डिमांड ड्राफ्ट जो प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग–जी, सीकर के पक्ष में देय हो जमा करवाना होगा। धरोहर राशि नगद में स्वीकार नहीं की जायेगी। असफल बोली दाता को मौके पर ही धरोहर राशि रुपये 5000/– का डिमांड ड्राफ्ट वापस दे दिया जावेगा।
2. वाहन की नीलामी प्रक्रिया निर्धारित दिनांक एवं समय पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग–जी, तोदी नगर, सांवली नगर, सीकर के परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जायेगी। सफल बोली दाता को संपूर्ण राशि राजकोष में जमा करवाकर इसका प्रमाण–पत्र अधो–हस्ताक्षरकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा यदि वाहन की सुपुर्दगी नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. सफल बोली दाता को हस्तांतरण/पंजीयन अथवा निपटान की समस्त कार्यवाही में खर्च एवं देय करों को स्वयं को वहन करना होगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र(रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की फोटो कॉपी उपलब्ध करवाई जायेगी। मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र गुम होने की राजस्थान पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. इच्छुक बोली दाता नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग–जी, , तोदी नगर, सांवली नगर, सीकर के परिसर में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 से शाम 4:00 बजे तक कर सकते हैं।
7. किसी भी बोली को निरस्त करने/अस्वीकृत करने का अधिकार अधो–हस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा।

23/9/22
(सुरेश कुमार मीना)
सहायक आयुक्त
सहायक आयुक्त
केन्द्रीय माल एवं सेवाकर संभाग-जी
सीकर (राज.)

प्रतिलिपि–

1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेब साईट https://cgstjaipur.gov.in पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।